Industrial Development

प्रेषक,

निदेशक,
उद्योग निदेशालय,
देहरादून।

प्रेषित,

समस्त महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 2569-21 उ.नि./(पांच)–51–एकल खिड़की अधिनियम/2020–21 दिनांकः 01 सितम्बर, 2022

विषयः– **उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम की धारा–10 के अंतर्गत भू–उपयोग परिवर्तन तथा भू–क्रय हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयबद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक।**

ईंज ऑफ डूईंग बिजनेस के अंतर्गत सरकार द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण सुधार लागू किये गये हैं। इसी क्रम में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 192/XXXVI (3)/2022/35(1)/2022 दिनांकः 22 जुलाई, 2022 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तरप्रदेश ज़मीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950) की धारा– 143 (2) में निम्नवत् संशोधन किये गये हैं:–

"निम्नलिखित श्रेणी की भूमि के संक्रमणीय भूमिधर/स्वामी के आवेदन पर:–

1. *इस अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत निर्धारित गैर कृषि प्रयोजन के लिये क्रय की गयी भूमि,*
2. *किसी भी विकास प्राधिकरण द्वारा गैर कृषि प्रयोजन हेतु स्वीकृत मानचित्र की भूमि,*
3. *उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम– 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 5 वर्ष 2013) के अंतर्गत राज्य प्राधिकृत समिति अथवा जिला प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत गैर कृषि प्रस्ताव के अंतर्गत भूमि,*
   संबंधित परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर ऐसे आवेदन के 7 दिन के भीतर यह घोषणा करेगा कि उपरोक्त भूमि कृषि से भिन्न उल्लिखित उपयोग में लायी जायेगी।
4. *घोषणा जारी होने की तिथि से 3 कार्य दिवसों के भीतर खतौनी में इस आशय का इन्द्राज किया जायेगा।"*

2. इस अधिसूचना की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। इस संशोधन से भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यन्त सुगम एवं समयबद्ध हो जाती है। सचिव राजस्व, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश दिये गये हैं कि निवेश प्रस्तावों के लिए प्राप्त भू–उपयोग परिवर्तन

तथा भू–क्रय के आवेदनों पर सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाय तथा उद्योग विभाग से अपेक्षा की गयी है कि भू–उपयोग परिवर्तन तथा भू–क्रय हेतु सिंगल विंडो सिस्टम से प्राप्त आवेदनों में निर्धारत समय–सीमा से अधिक समय तक लंबित प्रकरणों को, उनके संज्ञान में लाया जाय।

3. उक्त परिपेक्ष्य में समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों से यह अपेक्षा है कि वह एकल खिड़की पोर्टल पर प्राप्त भू–उपयोग परिवर्तन, भू–क्रय सहित अन्य अनापत्तियों/स्वीकृतियों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत निस्तारण किये जाने हेतु नियमित रूप से जिला प्राधिकृत समिति की बैठकों का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे। राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में जिला स्तर पर लंबित Common Application Forms, सेवाओं के आवेदनों तथा निवेशकों से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है।

(एस.सी.नौटियाल)
निदेशक उद्योग।

पृ0सं0 2569-सी **/उक्त, तद्दिनांकित।**
प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, सचिव उद्योग उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव राजस्व उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त औद्योगिक संगठन, उत्तराखण्ड।

(एस.सी.नौटियाल)
निदेशक उद्योग।

क्रम संख्या–61

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 ई0

आषाढ़ 31, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 192/XXXVI(3)/2022/35(1)/2022

देहरादून, 22 जुलाई, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2022' पर दिनांक 22 जुलाई, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्या: 07 वर्ष, 2022 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2022)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष, 1951) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) इसका विस्तार स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और छावनी परिषद आदि) क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय–समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 143 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 143 में–

(i) उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्–

"परन्तु निम्नलिखित श्रेणी की भूमि के, संक्रमणीय भूमिधर/स्वामी के आवेदन पर:–

1. इस अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत निर्धारित गैर कृषि प्रयोजन के लिये क्रय की गयी भूमि,
2. किसी भी विकास प्राधिकरण द्वारा गैर कृषि प्रयोजन हेतु स्वीकृत मानचित्र की भूमि,
3. उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम–2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–5 वर्ष 2013) के अंतर्गत राज्य प्राधिकृत समिति अथवा जिला प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत गैर

कृषि प्रस्ताव के अन्तर्गत भूमि,

सम्बन्धित परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर ऐसे आवेदन के 7 दिन के भीतर यह घोषणा करेगा कि उपरोक्त भूमि कृषि से भिन्न उल्लिखित उपयोग में लायी जायेगी।

4. घोषणा जारी होने की तिथि से 3 कार्य दिवसों के भीतर खतौनी में इस आशय का इन्द्राज किया जायेगा।

(ii) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जायेगी अर्थातः—

(4) उप धारा 1 में किये गये प्रख्यापन/घोषणा के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित "शुल्क" देय होगा।

धारा 143क का लोप

3. मूल अधिनियम की धारा 143क का लोप किया जायेगा।

धारा 143ख का लोप

4. मूल अधिनियम की धारा 143ख का लोप किया जायेगा।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

कारण और उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगीकरण/विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा कृषि भूमि पर ऋण मिलने की कठिनाइयों के दृष्टिगत उद्यमियों/व्यवसायियों के आवेदन पर कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) की धारा 143 में संशोधन किया जाना अपरिहार्य है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

मुख्यमंत्री।

No. 192/XXXVI(3)/2022/35(1)/2022
Dated Dehradun, July 22, 2022

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Amendment) Act, 2022' (Act No. 07 of 2022).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 22 July, 2022.

The Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (Amendment) Act, 2022

(Uttarakhand Act No. 07 of 2022)

An

Act

further to amend the Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) in the context of the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the State Legislative Assembly of Uttarakhand in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Amendment) Bill, 2022. (2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand except the areas included and may be included from time to time in any local bodies (Municipal corporation, Nagar Panchayet and Cantonment Board) limits. (3) It shall come into force at once.

Amendment of section 143	2.	In section 143 of the Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (hereinafter referred as the principal Act) (i) in subsection (1), the following Proviso shall be inserted, namely:- Provided that, the application the bhumidhar/Owner with the transferable right the following category of land shall- 1. the land purchased for non-agricultural under section 154 of this Act. 2. the Map of Land sanctioned for non-agricultural purpose by any development authority. 3. the land sanctioned under non-agricultural purpose by the State Empowered Committee or District Empowered Committee under the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012 (Uttarakhand Act No. 5 year 2013). The in charge Assistant Collector as the concerned Pargana within seven days of such Application shall declare that said land shall be utilized for the purpose other than agricultural, mentioned above. 4. Within the period of three working days from the date of delivered declaration shall be entered of this intend in Khatoni.

		(ii) After sub section (3) the following sub section shall be inserted, namely:- (4) For the declaration mentioned in sub section (1), the fee prescribed by the state government shall be paid.
Omission of section 143A	3.	Section 143A of the principal Act shall be omitted.
Omission of section 143B	4.	Section 143B of the principal Act shall be omitted.

By Order,

HIRA SINGH BONAL,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 विधायी / 517–2022–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।